तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3700/2002/उदयपुर मोगा बनाम दला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री पूर्णशंकर दशौरा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.09.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–05–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने मूल वाद में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण का वाद दायरी की तिथि को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होने से घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि विचारण न्यायालय के समक्ष कई व्यक्तियों ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर अपना वर्षो पुराना कब्जा होना कथन किया है। ऐसी स्थिति में वादपत्र में निहित विवादित पर वादीगण का भौतिक कब्जा है अथवा नहीं, इसके विधिसम्मत् निस्तारण हेतु विवादित आराजी की मौका कमिश्नर के माध्यम से रिपोर्ट तलब किया जाना आवश्यक थी, किन्तु विचारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3700/2002/उदयपुर मोगा बनाम दला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी का स्वीकार किया जाकर कमिश्नर के माध्यम से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् होना बताते हुए निगरानी को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद के साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर लम्बित रहने के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर कब्जे बाबत् अतिरिक्त साक्ष्य मौका कमिश्नर के माध्यम से मंगवाये जाने की प्रार्थना की गयी, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 आरआरटी II पेज 759 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् वादीगण अप्रार्थीगण की ओर से घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं हर्जाने का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 14-10-1997 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3700/2002/उदयपुर मोगा बनाम दला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर मूल वाद में तनकीयात कायम कर वादी पक्ष की साक्ष्य अभिलिखित की गयी। इसके उपरान्त साक्ष्य प्रतिवादीगण के स्तर पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट कमिश्नर के माध्यम से तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी। साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर लम्बित वाद में मौका कमिश्नर नियुक्त कर विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में भी इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा विवादित आराजी का स्थल निरीक्षण भी किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में भूमि पडत है तथा स्वतन्त्र रूप से गांव का कोई मोतबीर व्यक्ति कब्जा सही किसका है, यह बताने में असमर्थ रहे है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर लम्बित मूल वाद में वर्षो उपरान्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3700/2002/उदयपुर मोगा बनाम दला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है।

पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.10.2018 को उपस्थित होकर मूल वाद के निर्णय में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ष 1994 में प्रस्तुत मूल वाद में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत करते हुए मूल वाद का निस्तारण अधिकतम् छः माह की अवधि में आवश्यक रूप से करें।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य